

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - महीपाल सिंह आर०१००१९९०

मा संख्या : 342/2022 प्रा०प्र०

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

बनाम

1. राजू कलर फरी वल्लीपार श्रेष्ठ

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०गू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक

15/11/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०गू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि करेड़ा पटवार हल्का मेगनाथपुर तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या आराजी नम्बर

468	632	685	686	687	688	689	690	701	692
02529/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523

कुलकिता 10 रकबा 1.6188 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/11/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करेड़ा पटवार हल्का मेगनाथपुर तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर

468	632	685	686	687	688	689	690	701	692
02529/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523	02523/02523

कुलकिता 10 रकबा 1.6188 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ मा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक विद्यापति को 700/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमाने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा